कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / **COCHIN SHIPYARD LIMITED**

कोच्ची / **Kochi – 682 015**

कर्मचारी संबंध विभाग / ER DEPARTMENT

सं./No. PERL/26(1)/97 Vol.IVPt

01 सितंबर/Sep 2025

परिपत्र / CIRCULAR

कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा दावा प्रसंस्करण में स्वचालित अधिसूचना प्रणाली की शुरुआत

INTRODUCTION OF AUTOMATED NOTIFICATION SYSTEM IN MEDICAL CLAIM PROCESSING OF EMPLOYEES AND RETIRED EMPLOYEES

1. कर्मचारी कल्याण मोर्चे में पारदर्शिता लाने तथा डिजिटल परिवर्तन को अपनाने की पहल के तहत, नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा दावों के प्रबंधन हेतु सूचना प्रणाली विभाग (आईएसडी) द्वारा एक स्वचालित अधिसूचना प्रणाली विकसित की गई है।
As an initiative to bring transparency in employee welfare front and embracing the digital transformation, an automated notification system in medical claims management of regular employees and retired employees has been developed by Information Systems Dept. (ISD)

2. यह प्रणाली एसएपी एस/4 हाना प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है और चिकित्सा दावों की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में तत्काल अद्यतन प्रदान करेगी। चिकित्सा दावों की प्रक्रिया के दौरान संबंधित कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन प्रकार की सूचनाएं/अलर्ट भेजे जाएंगे, जो नीचे दिए गए हैं:
The system is in integration with the SAP S/4 HANA platform will provide instant updates at various stages of the medical claim processing. Three types of notifications/alerts will be sent to the respective employees/retired employees while processing the medical claims, as given below:

   (a) ई-मेल : पंजीकृत ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा विस्तृत अपडेट
   Email : Detailed updates by Email to the registered email address
   (b) एसएमएस : पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए टेक्स्ट संदेश
   SMS : Text messages delivered to the registered mobile number
   (c) सीएसएल रडर एप : रडर एप के माध्यम से पुश सूचनाएं (रडर एप वर्तमान में केवल नियमित कर्मचारियों के लिए है)
   CSL Rudder App: Push notifications via the Rudder App (Rudder App is presently for regular employees only)

3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में, संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी को केवल ओपी दावों के प्रसंस्करण के दौरान ही सूचनाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि उनके इनपेशंट उपचार दावों का प्रसंस्करण सीधे एचआईटीपीए/बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है ; जबकि नियमित कर्मचारियों को ओपी और आईपी दोनों दावों के प्रसंस्करण के दौरान सूचनाएं प्राप्त होंगी।
In the case of retired employees, the communications will be received by the concerned retired employee during processing of OP claims only as their Inpatient treatment claims are processed directly by the HITPA/Insurance company; whereas the regular employees shall receive notifications during processing of both OP & IP claims.

4. दावा प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रमुख चरणों में सूचनाएं प्राप्त होंगी :
The notifications will be received in the following key stages of claim processing:

(a) दावा निर्माण Claim creation	: दावा संख्या के साथ दावे की प्राप्ति की पावती : Acknowledgement of claim receipt with a claim number
(b) दावा अनुमोदन Claim Approval	: स्वीकृत राशि निर्दिष्ट करते हुए दावे के अनुमोदन की सूचना : Intimation regarding claim approval specifying the approved amount
(c) दावा अस्वीकृति Claim Rejection	: कारण सहित दावे की अस्वीकृति की जानकारी : Information regarding claim rejection with reasons
(d) दावा पोस्टिंग Claim Posting	: भुगतान हेतु दावे की अंतिम पोस्टिंग की पुष्टि : Confirmation of final posting of the claim for payment

5. यह सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुधार नियमित कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, दोनों के लिए चिकित्सा दावा प्रबंधन की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता में सुधार लाने हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह प्रणाली इस.परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।
This IT driven enhancement is designed to improve efficiency, transparency and reliability of medical claim management for both regular employees and retired employees. The system shall be active w.e.f the date of issue of this Circular.

6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of Competent Authority.

1|9|25

(सुब्रमण्यन के के / Subramanian K K)
प्रभारी उप महाप्रबंधक (क.सं.) / DGM (ER) i/c

सेवा में / To

सभी कर्मचारीगण / All employees : इंट्रानेट के ज़रिए / Through Intranet

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण : रिटायरीज़ कॉर्नर के ज़रिए
All retired employees : Through Retirees Corner

प्रतिलिपि/ Copy to

नि (वि) /नि (प्र) /नि (तक) /D(F)/D(O)/D(T)
मु.स.अ./CVO
मु.म.प्र./म.प्र./उ.म.प्र./CGMs / GMs/DGMs
मु.क.अ./म.चि.अ./CWO / CMO
अ.व प्र.नि.का.नि.स./ PS to C&MD

महासचिव सीएसईएफ/सीएसईओ/सीएसएसए/सीएसओए
General Secretary CSEF/CSEO/CSSA/CSOA

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संघ
All Associations representing retired employees